(49)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निग/2913/II/15

1. रामनारायण द्विवेदी तनय स्व0 वासुदेव द्विवेदी निवासी गेरुहाई तहसील व थाना सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

2. रामनिवास द्विवेदी तनय स्व0 वासुदेव द्विवेदी निवासी गेरुहाई तहसील व थाना सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) ------निगरानीकर्ता

बनाम्

1. मु0 सुखरजुआ पति स्व0 वासुदेव उम्र-90 वर्ष साकिन निवासी गेरुहाई तहसील व थाना सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

2. रामबिहारी द्विवेदी

3. रामसनेही द्विवेदी, दोनो के पिता स्व0 वासुदेव निवासी गेरुहाई तहसील व थाना सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

------------गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी बिरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 523अ-6/14-15 आदेश दिनांक 26/6/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता सन् 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील सेमरिया के समक्ष मु0 सुखरजुआ गैर निगरानीकर्ता क्रमांक - 1 द्वारा धारा 115, 109, 110 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अर्सा 50 वर्ष पूर्व हुये वारिसाना नामान्तरण को निरस्त करते हुये पुनः वारिसाना नामान्तरण एवं खसरा सुधार किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें निगरानीकर्तागण सहित गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 2 व 3 को अनावेदक के रुप में पक्षकार बनाया गया था। निगरानीकर्तागण द्वारा

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R 2913 - दो/15 जिला– रीवा

राम नारायण द्विवेदी वगैरह विरुद्ध मृत. सुखरजुआ वगैरह

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 18.12.18 | 1. आवेदक की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक~~, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 52/अ6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 26.6.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 06-03-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |